

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम.....  
वायतु

..... बनाम .....  
मेयाराम वराराम वगैरे

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....  
२१ आवे ५७ 11, 123 RLR 136 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.4.17  26/04/17	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ...मेयाराम जायसु... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ...11, 123 RLR MA राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26.04.17 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपलब्ध। विप्रार्थी गिण लंघना - 1 ले 5 व 7, 8 के नोटिस तामिल बुझा गएल तथा विप्रार्थी लंघना 6 के नोटिस पर कोल होना लिख्य गया जिसे तामिल पमावली पिया गया। प्रार्थी वकील विप्रार्थी गिण लंघना 6 के डायम सुडाम व संवोधित विवर्ध मय डायम सुडाम के नोटिस पेना डटे, पेना होने पर जारी हो, दोष विप्रार्थी गिण लंघना 1 ले 5 व 7, 8 बावजुड तामिल अनुपलब्ध। अतः पमावली आइना दिनांक 27/04/17 डो पेना हो।</p>	

27/09/17

प्राथी कहील उपलब्धत। प्राथी कहील डारा  
 विप्राथी संख्या 6 के काम सुडाम व लंशोचित  
 शिर्षक पैरा नही किया गया। आईना पैरा करना  
 चाहते हैं सबमट किया जाउर पमावली आईना  
 दिनांक 05/12/17 को पैरा है।

05/12/17

प्राथी कहील उपलब्धत। प्राथी कहील डारा  
 विप्राथी संख्या 6 के काम सुडाम अथ लंशोचित  
 शिर्षक पैरा किया गया जिसे शामिल पमावली  
 किया गया। प्राथी कहील विप्राथी संख्या-6 के  
 काम सुडाम के नोटिस पैरा डरे पैरा होने पर  
 जारी होउर पमावली आईना दिनांक 19/02/18  
 को पैरा है।

19/02/18

प्राथी कहील उपलब्धत। विप्राथी संख्या 6 के  
 काम सुडाम के नोटिस जारी होउर पमावली आईना  
 दिनांक- 26/02/18 को पैरा है।

26/02/18

प्राथी कहील उपलब्धत। विप्राथी संख्या 6 के  
 काम सुडाम विप्राथी संख्या 6। से 6/3 के नोटिस  
 लामिल सुडा प्राप्त जिसे शामिल पमावली किया गया।  
 विप्राथी संख्या 6। से 6/3 का कजुड लामिल अनुपलब्धत।  
 प्राथी के अधिकमता की वषल खुनी गई, प्राथी के अधि-  
 वसता ने बलाया की प्राथी ने पूर्व में अपने ध्यातेगारी  
 धेलो का सीमाज्ञान डरकामा पल्लु प्राथी को कपने  
 ध्यातेगारी धेलो के चारो कोर परके नैयम लप्राधिल डवाना  
 काकशुड है इसलिए प्राथी का नैयमबनी कावेडन टकीडर  
 किया जाउर नैयमबनी कादेश किया जावे।

दिलः प्राथी का नैयमबनी कावेडन टकीडर  
 किया जाउर लखवीलार बाखुड हो कामिमानत नियुक्त किया जाला  
 है व कोरेा किया जाला है कि प्राय तर्क मा कपने अधिनतक  
 विती भी भू. अधिलेय निरिषुड ल प्राथी के ध्यातेगारी धेलो की  
 पन्की नैयमबनी मोडे पर सुलुड जमाउराउर डरे पालना रीपोर  
 प्राप्त होने पर शामिल पमावली हो, पमावली जेमल सुमाए ही,  
 दर्ज नम्बर से उम हो, दाखिल डफल है।

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/273  
प्रार्थीगण

दिनांक:-27.2.18

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री मेघाराम पुत्र नखताराम  
वगैरा 3 जाति राईको निवासी  
हुडों की ढाणी, कोसरिया तह.  
बायतु जिला बाड़मेर

1. श्री पूराराम पुत्र कानाराम वगैरा  
8 निवासी हुडों की ढाणी,  
कोसरिया तह. बायतु जिला  
बाड़मेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 136/17

आदेश

मौजा हुडों की ढाणी पटवार हल्का कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 225 रकबा 48.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु/नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



  
(हेताराम कलकल) (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:-27.2.18

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मेघाराम पुत्र नखताराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री पूराराम पुत्र कानाराम वगैरा 8।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु/नागाणा।

  
उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
सहायक अधिकारी बायतु  
बायतु